

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4894

1 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादकता

4894. श्री मुरसोली एस:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत आठ वर्षों के दौरान कृषि उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उपज) का वर्षवार, राज्यवार और फसलवार व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या किसानों की कम आय का कारण देश में सभी प्रमुख फसलों की कम उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उपज) है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो देश में कृषि की कम उत्पादकता के क्या कारण हैं;
- (घ) कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में कृषि क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): विगत आठ वर्षों के दौरान, अनाज के संदर्भ में कृषि उत्पादकता में 16.63% की वृद्धि हुई है, अर्थात् 2016-17 में 2525 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 2945 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है, दलहनों के संदर्भ में 12.23% की वृद्धि हुई है, अर्थात् 2016-17 में 785 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 881 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है और तिलहन के संदर्भ में 9.96% की वृद्धि हुई है, अर्थात् 2016-17 में 1195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1314 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है।

विगत आठ वर्षों के दौरान प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों में कृषि उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर उपज) का वर्षवार और फसल-वार व्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने राज्यों की साझेदारी में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के शुभारंभ की घोषणा की है। वर्तमान योजनाओं और विशेष उपायों के सम्मिलन के माध्यम से, यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल करेगा। इसका उद्देश्य (1) कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, (2) फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, (3) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण को बढ़ाना, (4) सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और (5) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार उत्पादन में वृद्धि करने, किसानों को लाभकारी मुनाफा और आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैं:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
5. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
6. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
7. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
8. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
9. कृषि वानिकी
10. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
11. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
12. बीज एवं रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)
13. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
14. राष्ट्रीय बांस मिशन
15. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन
17. पर ड्रॉप मोर ड्रॉप (पीडीएमसी)
18. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
19. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
20. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
21. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
22. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
23. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
24. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
25. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
26. नमो ड्रोन दीदी
27. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
28. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
29. डिजिटल कृषि मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थान-विशिष्ट उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ उच्च उपज वाली, जलवायु अनुकूल और पोषण से संपन्न क्षेत्रीय फसल किस्मों के विकास पर बल दे रहा है। विकसित उन्नत किस्मों, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों को आउटरीच एकिटविटियों जैसे फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यक्रम, ऑन फार्म परीक्षण और फ्रंटलाइन प्रदर्शन, डायग्नोस्टिक फील्ड विजिट और और फील्ड फ्रेंड्स कार्यक्रमों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाए जाने हेतु किसानों के बीच प्रचारित किया जा रहा है।

(ड): सरकार देश में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ योजनाएँ हैं:

(i) आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में, संपूर्ण भारत में कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर विकास के समर्थन के

माध्यम से सतत कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2020 में कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का शुभारंभ किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्रृषि दात्री संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम 9% की ब्याज दर पर मध्यम से दीर्घकालिक क्रृषि की सुविधा प्रदान करने के माध्यम से किसानों को सक्षम बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। एआईएफ के तहत, वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण लक्ष्य के साथ-साथ फार्म-गेट और एग्रीगेशन प्लांट पर इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए क्रृषि की पेशकश की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत क्रृषि प्राप्त कर्ताओं को 2 करोड़ रुपये तक के क्रृषि के लिए सात वर्ष तक की अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता प्राप्त होती है। उधारकर्ताओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, इस पहल में 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के क्रृषि के लिए क्रेडिट गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता शामिल है।

(ii) एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) के अंतर्गत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि कृषि उपज की भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके। एएमआई मांग आधारित योजना है जिसके तहत पात्र लाभार्थी श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूँजीगत लागत पर क्रमशः 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों, किसान/उत्पादक समूह, कृषि उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता प्राप्त होती है। एएमआई योजना मांग आधारित है और इसमें राज्यवार निधि आवंटन नहीं है।

(iii) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना, एक वर्चुअल मंच है जो कृषि और बागवानी जिंसों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य को सुविधाजनक बनाने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) की वास्तविक थोक मंडियों/बाजारों को एकीकृत करता है।

(iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की परियोजनाओं के आधार पर अनुदान सहायता के रूप में धनराशि जारी की जाती है, जिसका अनुमोदन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक (एसएलएससी) में किया जाता है, जो योजना के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु अधिकार प्राप्त निकाय है। इस योजना में राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाओं के चयन, योजना तैयार करना, अनुमोदन और निष्पादन की प्रक्रिया में व्यवहार्यता और स्वायत्तता प्राप्त है। आरकेवीवाई मुख्य रूप से एक परियोजना उन्मुख योजना है, जिसका लाभ कृषक समुदाय के सभी वर्गों को प्राप्त होता है। वर्ष 2015-16 से, आरकेवीवाई का वित्त पोषण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सेदारी से केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 में परिवर्तित हो गया है जबकि केंद्र और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 हो गया है। संघ शासित प्रदेशों के लिए यह केन्द्रीय हिस्सा 100% रहेगा।

(v) भारत सरकार ने "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया है। एफपीओ लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों को एकत्र करने में सहायता करते हैं ताकि उन्हें कृषि उत्पादन चरण के दौरान कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता जैसे कि अपेक्षित वित्त सहित प्रौद्योगिकी, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक पहुंच प्रदान की जा सके। एफपीओ के सदस्य अपनी आय में तीव्रता से वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी, आदान, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए संगठन में एक साथ अपनी गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे।

(vi) भारत सरकार वर्ष 2008 से मेगा फूड पार्क योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य खेत से बाजार तक मूल्य शृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करना है।

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर के लिए देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4894 के उत्तर के भाग (क) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

चावल की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
तेलंगाना	3075	3192	3452	3694	3206	3395	3406	3602
उत्तर प्रदेश	2295	2283	2704	2705	2733	2678	2737	2772
पश्चिम बंगाल	2784	2926	2946	2892	2958	2995	3057	3064
पंजाब	3998	4366	4132	4034	4366	4340	4193	4516
छत्तीसगढ़	2101	1311	1810	1848	1889	2134	2602	2539
ओडिशा	2160	1739	2004	2122	2182	2353	2030	2081
बिहार	2467	2447	1948	2182	2233	2496	2453	2541
आंध्र प्रदेश	3540	3788	3729	3765	3393	3392	3730	3822
मध्य प्रदेश	1847	2026	1880	2370	2085	2283	2057	2080
तमिलनाडु	1642	3630	3562	3760	3379	3566	3500	3235
हरियाणा	3213	3181	3121	3334	3334	3605	3362	3822
असम	1916	2171	2153	2176	2209	1862	2426	2413
महाराष्ट्र	2025	1882	2236	1866	2109	2178	2269	2304
कर्नाटक	2519	3038	3012	3067	3072	3089	3223	3282
गुजरात	2306	2209	2279	2193	2367	2355	2530	2485
झारखंड	2241	2350	1895	2219	1951	2028	1747	1378
अखिल भारत	2494	2576	2638	2722	2717	2798	2838	2882

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

गेहूं की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
उत्तर प्रदेश	3113	3269	3432	3432	3604	3604	3531	3708
मध्य प्रदेश	2976	2993	2993	2993	2989	3535	3179	3012
पंजाब	4704	5077	5188	5003	4868	4216	4748	5045
हरियाणा	4514	4412	4925	4687	4834	4533	4704	4723
राजस्थान	3175	3334	3501	3501	3676	3913	3807	3540
बिहार	2427	2905	2998	2595	2767	2780	2958	3150
गुजरात	2751	2898	3020	3268	3205	3205	3248	3027
महाराष्ट्र	1474	1657	1497	1697	1839	1894	1948	1899
अखिल भारत	3200	3368	3533	3440	3521	3537	3521	3559

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

मक्के की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बिहार	3732	3476	3708	2975	3211	4026	5854	5975
कर्नाटक	2419	2948	2805	2990	3107	3279	3092	2855
मध्य प्रदेश	2602	2615	3261	2899	2763	3291	3191	2812
तमिलनाडु	3026	7986	7258	7424	6408	7066	7007	6239
तेलंगाना	3321	4057	3837	5347	6782	5403	5557	5671
उत्तर प्रदेश	2064	2208	2082	2323	2352	2170	2191	2417
पश्चिम बंगाल	4367	4805	6556	6647	6752	6989	6285	6633
महाराष्ट्र	3009	2868	1906	1740	2978	2865	2913	1847
राजस्थान	1501	2063	2240	1355	2285	2149	2277	2464
आंध्र प्रदेश	6612	6912	5875	6701	5917	5553	7138	6225
गुजरात	1780	1661	1961	1815	1717	2090	2140	2244
हिमाचल प्रदेश	2672	2532	2530	2540	2727	2970	2654	2403
जम्मू और कश्मीर	1833	1805	2189	2015	1759	1986	1979	2041
झारखंड	1923	2025	1744	1989	2186	2231	1910	2098
असम	2911	3132	3254	3495	3594	3965	3698	5143
अखिल भारत	2689	3065	3070	3006	3199	3387	3545	3351

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

तूर की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर्नाटक	749	861	639	729	759	666	701	747
महाराष्ट्र	1042	909	662	907	1042	1042	787	803
उत्तर प्रदेश	1074	1175	1084	980	1005	1223	1039	932
गुजरात	1156	1243	1209	991	1186	1161	1163	1163
झारखंड	1002	1147	1014	1048	1104	1129	1144	1149
तेलंगाना	676	798	647	903	775	769	882	812
ओडिशा	884	897	1022	1124	1166	1036	1062	1062
मध्य प्रदेश	1133	1297	846	1103	1305	844	762	885
आंध्र प्रदेश	380	430	182	486	363	271	323	413
तमिलनाडु	655	1093	1248	1273	1049	936	1039	987
अखिल भारत	913	967	729	859	914	861	814	827

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

चने की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मध्य प्रदेश	1100	1280	1288	1417	1488	1514	1468	1381
महाराष्ट्र	891	917	825	1096	1074	1145	1074	1055
राजस्थान	911	1074	1152	1079	1072	1167	934	1081
गुजरात	1116	1285	1358	1568	1568	1908	1699	1714
उत्तर प्रदेश	1114	1155	1272	1371	1243	1346	1321	1153
कर्नाटक	590	619	509	782	625	689	680	605
आंध्र प्रदेश	960	1132	508	1218	1136	1023	1388	994
झारखंड	1174	1228	1166	1197	1257	1186	1172	1167
छत्तीसगढ़	1171	1010	1026	231	887	725	912	828
तेलंगाना	1294	1516	1569	1532	1667	1409	1568	1686
अखिल भारत	974	1078	1041	1142	1192	1261	1172	1151

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

उड़द की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मध्य प्रदेश	679	739	480	281	341	547	649	678
उत्तर प्रदेश	548	511	574	434	573	520	465	647
आंध्र प्रदेश	658	920	977	1086	929	1059	1249	1126
तमिलनाडु	637	707	622	783	559	660	675	505
राजस्थान	641	624	501	246	390	366	420	505
महाराष्ट्र	542	346	421	444	636	484	630	396
झारखंड	918	874	841	869	872	903	886	887
অসম	677	648	665	598	651	661	645	670
गुजरात	604	636	669	737	746	721	726	808
पश्चिम बंगाल	734	764	693	692	661	687	726	739
ଓଡ଼ିଶା	454	372	329	368	344	340	382	411
तेलंगाना	827	818	944	1212	1313	1130	1222	1233
छत्तीसगढ़	320	318	329	331	370	368	368	383
कर्नाटक	489	506	508	488	576	495	466	458
अखिल भारत	632	662	546	459	538	599	657	656

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

मूँग की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मध्य प्रदेश	607	612	963	741	1179	1209	1135	1196
राजस्थान	495	432	495	560	551	354	505	345
ओडिशा	410	388	327	336	246	354	367	392
बिहार	696	709	698	664	560	694	778	714
गुजरात	469	557	566	772	712	810	742	818
कर्नाटक	275	341	339	369	402	361	383	315
महाराष्ट्र	585	367	424	390	517	479	582	380
उत्तर प्रदेश	565	528	605	570	709	632	590	596
पंजाब	842	860	872	866	969	1238	1034	914
पश्चिम बंगाल	757	716	492	431	733	757	754	873
आंध्र प्रदेश	493	661	700	808	772	861	1010	973
तमिलनाडु	338	433	451	445	367	379	361	331
अखिल भारत	500	477	516	548	601	570	663	598

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू

मूँगफली की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
गुजरात	1795	2345	1382	2751	1911	2259	2570	2739
राजस्थान	2051	1966	2053	2191	2256	2132	2400	2276
मध्य प्रदेश	1482	1558	1848	1587	1786	1722	1912	2051
तमिलनाडु	2084	3078	2717	2980	2502	2812	2598	2694
आंध्र प्रदेश	595	1426	618	1284	891	626	1011	1038
महाराष्ट्र	1184	1183	977	1063	1318	1255	1278	1257
पश्चिम बंगाल	2279	2343	2788	2198	2363	2544	2561	3060
कर्नाटक	629	980	759	998	999	846	1248	648
तेलंगाना	2060	2230	2491	2391	2286	2257	2448	2450
उत्तर प्रदेश	904	1013	994	942	1209	1139	1168	1172
ओडिशा	1229	1134	1277	1471	2023	1901	1881	1989
अखिल भारत	1398	1893	1422	2063	1703	1777	2075	2163

स्रोत: डीएएफडब्ल्यू

सोयाबीन की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मध्य प्रदेश	1231	1062	1231	789	639	978	969	903
महाराष्ट्र	1194	1030	1132	1170	1460	1197	1343	1028
राजस्थान	1072	1207	1254	469	969	801	1023	1038
कर्नाटक	745	913	1034	1183	1212	1147	1184	1062
गुजरात	717	791	1276	1318	1357	1630	1682	1386
तेलंगाना	1162	1624	1584	1808	1503	1731	1612	1483
अखिल भारत	1177	1058	1192	921	976	1069	1145	985

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

रेपसीड और सरसों की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्थान	1422	1602	1709	1366	1675	1716	1468	1529
मध्य प्रदेश	1299	1305	1471	1538	1745	1379	1540	1470
उत्तर प्रदेश	1245	1392	1483	1260	1438	1368	1497	1462
हरियाणा	1853	2018	2058	1793	2028	1914	1701	1816
पश्चिम बंगाल	1077	1175	1212	1167	1250	1218	1243	1244
गुजरात	1711	1808	1784	1932	1976	1995	1966	1896
झारखण्ड	728	715	695	794	798	819	834	801
असम	644	639	643	617	647	644	788	786
बिहार	1180	1245	1290	1187	1271	1125	1175	1263
अखिल भारत	1304	1410	1511	1331	1524	1497	1428	1444

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

गन्ने की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
उत्तर प्रदेश	64893	79245	80807	81313	81807	82300	80244	81346
महाराष्ट्र	82524	92000	77200	84280	92000	92000	91200	78000
कर्नाटक	68962	84081	90000	89000	96000	96000	90000	77000
तमिलनाडु	86995	99814	103000	107615	104030	109240	111080	105000
गुजरात	70710	66330	73182	71890	77327	78306	74344	71621
बिहार	54415	59138	89181	60649	54766	56949	60627	59777
उत्तराखण्ड	69645	69682	69553	75410	80000	80000	80000	82646
मध्य प्रदेश	51413	55408	48905	59470	57270	57840	70040	66000
पंजाब	81273	83580	81828	80242	83841	82153	83123	83254
हरियाणा	80618	84499	78243	80274	86179	81918	82232	83582
अखिल भारत	69001	80198	80105	80497	83566	84906	83349	78953

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू

कपास की उत्पादकता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)							
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
गुजरात	612	660	401	552	540	559	602	574
महाराष्ट्र	475	238	266	251	378	318	338	323
तेलंगाना	416	466	356	546	418	439	495	475
राजस्थान	506	551	548	624	675	558	579	444
कर्नाटक	337	573	331	485	481	493	460	471
मध्य प्रदेश	582	457	645	430	387	431	410	486
हरियाणा	609	416	483	584	419	352	296	444
आंध्र प्रदेश	563	549	409	649	449	524	372	297
ओडिशा	478	478	493	579	547	551	554	554
पंजाब	615	750	775	827	691	437	303	500
तमिलनाडु	430	413	344	418	369	347	313	330
अखिल भारत	512	443	378	455	451	428	443	436

स्रोत: डीएंडएफडब्ल्यू
